भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3058
गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानों में तकनीकी खराबी

3058. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार हवा में होने वाली उन सभी तकनीकी खराबियों की नियमित संपरीक्षा करती है जिनके कारण हाल ही में विमान दुर्घटनाओं और आपातकालीन लैंडिंग में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या रहे;

(ख) क्या सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू हवाई सुरक्षा मानकों को अद्यतन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हवाई यातायात नियंत्रकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उपाय कार्यान्वित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने विमान प्रचालकों द्वारा यात्री सुरक्षा से समझौता करने की गंभीर घटनाओं की जांच करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमान के सुरक्षित परिचालन और उनके अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए वृहत नागर विमानन विनियम स्थापित किए हैं। इन विनियमों को निरंतर अद्यतित किया जाता है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ), यूरोपीय संघ विमानन संरक्षा एजेंसी (ईएएसए) और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाता है।

इसके अलावा, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास निगरानी और ऑडिट के लिए निर्धारित फ्रेमवर्क है, अर्थात संगठन/विमान की नियोजित और अनियोजित निगरानी, जिसमें अनुरक्षण परिपाटियों की निरंतर निगरानी सहित सभी प्रचालकों के लिए नियमित और आवधिक ऑडिट, औचक जांच, रात्रि निगरानी और रैंप निरीक्षण शामिल हैं। यदि इनमें कोई उल्लंघन होता है, तो डीजीसीए अपनी प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया नियमावली के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई करता है।

(ग): हवाई यातायात नियंत्रकों (एटीसीओ) की संख्या बढ़ाने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) पिछले 3 वर्षों में एटीसीओ के कुल 1636 पद सृजित किए गए हैं।
(ii) वर्ष 2022 और 2023 में, कनिष्ठ कार्यपालक (एटीसी) के 1252 पद विज्ञापित किए गए और 1110 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया।
(iii) इसके अलावा, वर्ष 2025 में भर्ती हेतु जेई (एटीसी) के 309 पद विज्ञापित किए गए।

(घ): यदि घटनाओं में वृद्धि होती है, तो डीजीसीए औचक जांच और रात्रि निगरानी सहित विशेष ऑडिट अभियान की शुरुआत करता है।

******